

 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>भारत सरकार/Government of India, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण/SEEPZ-SEZ AUTHORITY, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry, अंधेरी (पूर्व), मुंबई// Andheri (E), Mumbai –400 096 टेलि. / Tel. : 022-28294774/28294701, फेक्स/Fax:28291754 ई-मेल / E-mail: dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in</p>	 <p>आज़ादी का अमृत महोत्सव</p>
---	---	---

सं.ई-ओपीटी-12/10/2021-ईओ/20997

12.12.2022

परिपत्र संख्या 31, दिनांक 12/12/2022

विषय: सीपज़-सेज़ में यूनिट धारकों के लिए सामान्य अनुमति।

उपरोक्त विषय पर पूर्व के सभी आदेशों को हटाते हुए सूचित किया जाता है कि यूनिटों के परिसर में निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी:-

- 1) सभी प्रकार के चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच शिविर, पूजा और त्योहार उत्सव यानी गणेशोत्सव, नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस, नया साल आदि के लिए यूनिटों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है:
 - क) सीपज़-सेज़ परिसर में दूसरे यूनिटों के काम में खलल नहीं पड़ना चाहिए।
 - ख) सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र रखना होगा।
 - ग) समारोह या कार्यक्रम के दौरान कोई भी व्यक्ति शराब/मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा।
 - घ) यूनिट सीपज़-सेज़ प्राधिकरण/सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।
 - ङ) समारोह/कार्यक्रम समाप्त होने के बाद परिसर को साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए।
 - च) समारोहों/कार्यक्रमों के लिए मेडिकल जांच किट/डीजे म्यूजिक सिस्टम सहित सामग्री के अंदर और बाहर जाने की सूचना केवल गेट नंबर 1 पर सुरक्षा अधिकारी को दी जानी चाहिए।
 - छ) सीपज़ के अंदर पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
 - ज) चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच से संबंधित बैनर पर "आजादी का अमृत महोत्सव और सीपज़-सेज़" के लोगो लगाएं और तस्वीरें सीपज़-सेज़ के साथ साझा करें।
 - झ) यूनिटों द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्तों के उल्लंघन पर यूनिटों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- 2) ऐसी गतिविधियों/कार्यक्रमों की पूर्व सूचना संपदा प्रबंधक को कम से कम 2 दिन पहले दी जानी चाहिए।
- 3) इसमें रक्तदान शिविर की कोई भी गतिविधि शामिल नहीं होगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता/-

(ब्रिजिट जो)

विकास आयुक्त की सहायक कार्यपालक/,

सीपज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रति:-

- 1) सीमा शुल्क अनुभाग, सीपज़-सेज़
- 2) सुरक्षा अनुभाग, सीपज़-सेज़
- 3) सभी यूनिट/सार्वजनिक उपयोगिता, सीपज़-सेज़
- 4) अभीक्षक, सीपज़-सेज़
- 5) आईटी अनुभाग, वेबसाइट, सीपज़-सेज़ पर अपलोड करने के लिए

 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>भारतसरकार/ GOVERNMENT OF INDIA, सीपज़- सेज़प्राधिकरण/ SEEPZ SEZ AUTHORITY, वणिज्यऔरउद्योगमंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, अंधेरी (मुंबई)- 400096. ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400096</p> <p>Tel: 022-28294774/28294701, Fax: 022-28291754</p> <p>E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in</p>	
---	--	---

No.E-OPT-12/10/2021-EO / 20997

12.12.2022

Circular No. 31 Dated 12/12/2022**Sub: General permission for unit holder in SEEPZ-SEZ.**

In suppression of all earlier orders on the above subject, it has to inform that no permission shall be required for conducting following activities by the Units in their unit premises:-

1. All types of Medical /Health Checkup Camp, Pooja & Festival Celebration i.e. Ganesh -Utsav, Navratri, Diwali, Christmas, New Year etc. The unit is required to adhere to the following conditions:-
 - a. There should not be any disturbance to other units in Zone Complex.
 - b. All employees must carry Identity Card.
 - c. No one shall consume liquor/narcotic products during the function or event.
 - d. Unit shall comply with the security guidelines issued by SEEPZ-SEZ Authority/Security Officer.
 - e. The premises should be kept neat and clean after function/event is over.
 - f. The In & Out of materials including Medical check up kits/DJ Music system for functions /events may be intimated to the Security Officer at Gate No.1 only.
 - g. No bursting of crackers will be allowed inside SEEPZ.
 - h. Display the logos of "Azadi ka Amrit Mahotsav & SEEPZ-SEZ" on the banner related to medical/health check ups and photographs may be shared with SEEPZ-SEZ .
 - i. Penalty shall be imposed on the units for any violation of the above mentioned clauses by the units.
2. Prior intimation of such activities / event should be given to Estate Manager, at least 2 days in advance.

3. This will not include any activity of blood donation camp.

The issues with the approval of the competent authority, SEEPZ-SEZ Authority.

Signed by Bridget Joe

Date: 12-12-2022 18:01:27

Reason: Approved

(Bridget Joe)

EA to DC/Estate Manager,
SEEPZ-SEZ Authority

Copy to:

1. Customs Section, SEEPZ-SEZ.
2. Security Section, SEEPZ-SEZ.
3. All Unit /Public utility, SEEPZ-SEZ.
4. Caretakers, SEEPZ-SEZ.
5. IT Section, to upload on website, SEEPZ-SEZ.